संख्या-76/2020/354/23-14-2020-46आ0पू0वि0नि0/2017

प्रेषक,

भाष्कर पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
सुल्तानपुर ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 31 जुलाई, 2020**

विषय-पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत **जनपद-सुल्तानपुर की एक परियोजना-"किठौली से गारापुर सम्पर्क मार्ग"** के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4753/पू0वि0नि0/राज्यांश/19-20, दिनांक 24.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-सुल्तानपुर की एक परियोजना हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-69/2018/253/23-14-2018-46आ0पू0वि0नि0/2017, दिनांक 28.03.2018 द्वारा जनपद-सुल्तानपुर की कुल पांच परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कुल रू0 934.00 लाख के सापेक्ष रू0 186.78 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी, जिसमें विषयांकित परियोजन भी शामिल है । तत्पश्चात उक्त परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-202/2019/562/23-14-2019-46आ0पू0वि0नि0/2017, दिनांक 31.07.2019 द्वारा रू0 78.29 लाख की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार प्रश्नगत परियोजना हेतु अब तक रू0 117.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है । अत: विषयांकित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अन्तिम किस्त के रूप में अवशेष कुल धनराशि रू0 72,84,000.00 (रू0 बहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम/जनपद-सुल्तानपुर	लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्राविधिक स्वीकृति लागत	अब तक कुल अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि का आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	किठौली से गारापुर सम्पर्क मार्ग ।	3.10	195.73	190.27	117.43	72.84	72.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

5- उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्यो के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराये जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेंगे।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेगें तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगें। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्व एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होगें एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेगें।

7- उपर्युक्त रू0 72,84,000.00 (रू0 बहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) जनपद-सुल्तानपुर की उक्त उल्लिखित एक परियोजना के लिए दी जा रही है।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूॅजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूॅजीगत परिव्यय-02-पिछडे क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाएं-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भाष्कर पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-76/2020/354(1)/23-14-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।

4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुल्तानपुर ।

5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को लोक निर्माण अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-755/23-10-20-10(ब)/2016टी0सी0, दिनांक 08.07.2020 के संदर्भ में ।

6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लोक निर्माण अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-755/23-10-20-10(ब)/2016टी0सी0, दिनांक 08.07.2020 के संदर्भ में ।

7- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या ।

8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर ।

9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भाष्कर पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।